न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं078 / 2019 तारीख रजू:– 03.07.2019

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

1.	श्रीमती कैलाशी पत्नि मदनमोहन	समस्त जातियान माली
2.	श्रीमती प्रेमवती पत्नि परशुराम	निवासीयान सिकरौदा जट्‌ट
3.	श्रीमती पुष्पा पत्नि विजय	
4.	श्रीमती राजन्ती पत्नि राजूलाल	तहसील हिण्डौन जिला करौली
5.	रमेश पुत्र चेतराम	——————————— सायलान

बनाम

1.	श्रीमती कमलादेवी पत्नि विजेन्द्र	समस्त जातियान माली
2.	काडू पुत्र नथोली	
3.	झम्मन पुत्र नथोली	निवासीयान सिकरौदा जट्‌ट
4.	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि भयसिंह	
5.	मोहन पुत्र नथोली	तहसील हिण्डौन जिला करौली
6.	श्रीफूल पुत्र नथोली	
7.	सूका पुत्र नथोली	

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :– 10-12-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने इस अदालत में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत् विभाजन [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा ठोस आधारों पर पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 251 रकबा 0.01 है0, 252 रकबा 0.42 है0, 257 रकबा 0.07 है0, 258 रकबा 0.03 है0, 487 रकबा 0.30 है0, 488 रकबा 0.29 है0, 489 रकबा 0.17 है0, 490 रकबा 0.45 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम सिकरौदा जट्‌ट पटवार हल्का सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2070–73 अनुसार सायलान 1/3 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं गैरसायला नं01 श्रीमती कमला देवी 11/87 हिस्सा की व गैरसायला नं04 श्रीमती पुष्पादेवी 43/174 हिस्सा की एवं गैरसायलान नं0 2,3,5,6,7 संयुक्त रूप से 17/58 हिस्सा यानि 17/290 वहिस्सा बराबर के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान कई वर्ष पूर्व वाहमी बंटवारे के आधार पर मौके पर काबिज काश्त हैं। सायलान बाहमी बंटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 490 के सम्पूर्ण रकबा 0.45 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 252,257,258, 251 पर शेष हिस्सा के रकबा पर सायलान संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायलान का परिवार काफी बढ गया है। विवादित आराजीयात में से कुछ खेत रास्ते के सहारे स्थित है। जिनकी कीमतें काफी बढ गई है। इसके अतिरिक्त कब्जा काश्त के सिलसिले में सायलान व गैरसायलान के मध्य विवाद रहने लग गया है। ऐसी सूरत में विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन कराये बगैर पक्षकारान द्वारा शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करना सम्भव नहीं रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान ने दिनांक 28.06.2019 को गैरसायलान से आराजीयात वर्णित मद नं01 वाद पत्र का कब्जानुसार तहसील हिण्डौन में चलकर विधिवत विभाजन कराने को कहा तो गैरसायलान अत्यन्त नाराज हो गये और सायलान से विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया। गैरसायलान ने सायलान को यह धमकी भी दी थी कि वे विवादित आराजीयात में से रास्ते के सहार स्थित सायलान के कब्जेकाश्त की भूमि से सायलान को विधि विरूद्ध रूप से बेदखल कर अपना अवैध कब्ज़ा करेंगे एवं दीगर लोगों को बेच देंगे एवं भूमि को नाकाबिल काश्त बना देंगे। गैरसायलान ने सायलान की हकूक खातेदारी से भी इन्कार किया है। अगर गैरसायलान अपने उक्त मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति पहुॅचेगी कि जिसकी पूर्ति होना किसी भी भॉति सम्भव नहीं होगी। इसलिए दावा हाजा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि अग[illegible]न अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये त[illegible] जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार इन टर्म्स ऑफ मनी होना सम्भव [illegible] सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैंसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 251 रकबा 0.01 है0, 252 रकबा 0.42 है0, 257 रकबा 0.07 है0, 258 रकबा 0.03 है0, 487 रकबा 0.30 है0, 488 रकबा 0.29 है0, 489 रकबा 0.17 है0, 490 रकबा 0.45 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम सिकरौदा जट्ट पटवार हल्का सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन में सायलान को उनके हिस्से व कब्जे की भूमि से बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें। सायलान के उपयोग उपभोग में व्यवधान नहीं डालें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य न तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। गैरसायलान रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 07.09.2020 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजीयात ासरा नम्बर 251 रकबा 0.01 है0, 252 रकबा 0.42 है0, 257 रकबा 0.07 है0, 258 रकबा 0.03 है0, 487 रकबा 0.30 है0, 488 रकबा 0.29 है0, 489 रकबा 0.17 है0, 490 रकबा 0.45 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम सिकरौदा जट्ट पटवार हल्का सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी कमलादेवी पत्नि बिजेन्द्र हि0 11/87, कैलाशी पत्नि मदनमोहन हि01/5, काडू पुत्र नथोली हि0 17/290, झम्मन पुत्र नथोली हि0 17/290, प्रेमवती पत्नि परशुराम हि0 1/15, पुष्पा पत्नि विजय हि01/15, पुष्पादेवी पत्नि धर्मसिंह हि0 43/174, मोहन पुत्र नथोली हि017/290, रमेश पुत्र चेतराम हि01/15, राजन्ती पत्नि ... हि0 1/15, श्रीफूल पुत्र नथोली हि017/290, सुक्खा पुत्र नथोली हि017/290 सभी जातियान माली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 251 रकबा 0.01 है0, 252 रकबा 0.42 है0, 257 रकबा 0.07 है0, 258 रकबा 0.03 है0, 487 रकबा 0.30 है0, 488 रकबा 0.29 है0, 489 रकबा 0.17 है0, 490 रकबा 0.45 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम सिकरौदा जट्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पटवार हल्का सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन में सायलान एवं गैरसायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं।

गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण उनका संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन पक्षकारों के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। सायलान के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान के द्वारा सायलान को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल किया जा रहा हो अथवा उनके द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा हो। बल्कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 251 रकबा 0.01 है0, 252 रकबा 0.42 है0, 257 रकबा 0.07 है0, 258 रकबा 0.03 है0, 487 रकबा 0.30 है0, 488 रकबा 0.29 है0, 489 रकबा 0.17 है0, 490 रकबा 0.45 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम सिकरौदा जट्ट पटवार हल्का सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 03.07.2019 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 17-12-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested